

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, मा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता -सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी,
दरभंगा, शेखपुरा, जमुई, सीवान, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी),
गोपालगंज, औरंगाबाद, शिवहर, सीतामढ़ी, बाँका एवं मधुबनी।

पटना, दिनांक :

विषय :- मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व -उप मुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 102 - सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि आम नागरिकों को डिजिटल राजस्व मानचित्रों की आपूर्ति हेतु आपके जिलान्तर्गत सदर अंचल कार्यालयों में अधिष्ठापित प्लॉटर से नक्शा मुद्रण संबंधित कार्य के लिए स्टेशनरी वस्तुओं के क्रय/नरम्माति हेतु उक्त बजट शीर्ष के अन्तर्गत इकाई कोड संख्या- 13 01 - कार्यालय व्यय मद में संलग्न विवरणी के अनुसार 11,00,000/- (ग्यारह लाख) रुपये मात्र का आवंटन निर्गत किया जाता है।

- यह आवंटन विभिन्न जिलों के सदर अंचल यथा शेखपुरा, जमुई, सीवान, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), गोपालगंज, औरंगाबाद, शिवहर, डुमरा (सीतामढ़ी), बाँका मधुबनी एवं बेनीपुर (दरभंगा) हेतु आवंटित किया जा रहा है।
- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998, राज्यादेश संख्या 1184 दिनांक 03.07.2015 एवं राज्यादेश संख्या 688 दिनांक 19.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40 - 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
- आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पौचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
- बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
- इसकी सूचना महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।

11. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
12. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि का छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवटन(स्था0 0101)- 141/2017-19/अक्टूबर पटना, दिनांक 9/10/2017
प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :- महालेखाकार, बिहार पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

निबंधित

ज्ञापांक :- 17-आवटन(स्था0 0101)- 141/2017-19/अक्टूबर पटना, दिनांक 9/10/2017
प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :- कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा (बेनीपुर), शेखपुरा, जमुई, सीवान, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), गोपालगंज, औरंगाबाद, शिवहर, सीतामढ़ी (डुमरा), बाँका एवं मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवटन(स्था0 0101)- 141/2017-19/अक्टूबर पटना, दिनांक 9/10/2017
प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवटन(स्था0 0101)- 141/2017-19/अक्टूबर पटना, दिनांक 9/10/2017
प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :- अंचलाधिकारी सदर अंचल शेखपुरा, जमुई, सीवान, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), गोपालगंज, औरंगाबाद, शिवहर, डुमरा (सीतामढ़ी), बाँका मधुबनी एवं बेनीपुर (दरभंगा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवटन(स्था0 0101)- 141/2017-19/अक्टूबर पटना, दिनांक 9/10/2017
प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :- आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं श्री संतोष कुमार, लेखापाल, बी0पी0एम0यू0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक


भू-अभिलेख एवं परिमाण

भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना।

मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व - उपमुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 102 - सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उपशीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत इकाई कोड-13 01 विषय शीर्ष- कार्यालय व्यय मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में निधि का आवंटन :-

क्र०	कार्यालय का नाम	आवंटित राशि
1	समाहता, दरभंगा	1,00,000=00
2	समाहता, शेखपुरा	1,00,000=00
3	समाहता, जमुई	1,00,000=00
4	समाहता, सीवान	1,00,000=00
5	समाहता, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)	1,00,000=00
6	समाहता, गोपालगंज	1,00,000=00
7	समाहता, औरंगाबाद	1,00,000=00
8	समाहता, शिवहर	1,00,000=00
9	समाहता, सीतामढ़ी	1,00,000=00
10	समाहता, बाँका	1,00,000=00
11	समाहता, मधुबनी	1,00,000=00
कुल योग :-		11,00,000=00

(ग्यारह लाख रुपये मात्र)


(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।